संख्या:28/2021/I/97330/2021(2)/46-1099/692/2019

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी, उ.प्र.।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 2021

विषय:- गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:33/2018/1763/46-1-2018-1000(74)/2012, दिनांक 19-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-6 में निम्न प्राविधान किये गये हैं:-

'पात्र लाभार्थी गन्ना कृषकों को जिले की किसी भी सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से इफको एवं कृभकों, आई.आई.एस.आर., उ.प्र. गन्ना शोध परिषद तथा प्रदेश के किसी विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित माइक्रोन्यूट्रियंट, कीटनाशक तथा बायोफर्टीलाइजर डी.बी.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायें। विशेष परिस्थिति में समिति गोदाम पर उक्त संस्थाओं के उत्पाद उपलब्ध नहीं होने पर मुख्यालय से अनुमति उपरान्त कृषि विभाग के शासनादेश संख्या:543(1)/12-3-2017, दिनांक 26 मई, 2017 के प्रस्तर 5.4.2 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के समय मुख्यालय स्तर से अन्य विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। पात्र लाभार्थी कृषि निवेशों को उनके कुल मूल्य एवं समस्त करों सहित नकद अथवा समिति ऋण के माध्यम से 100 प्रतिशत पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही प्राप्त कर सकेगा, गन्ना समिति के द्वारा नकद अथवा समिति ऋण की रसीद मय GSTIN नम्बर के उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात ही उसको नियमानुसार देय अनुदान का भुगतान उसके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।'

2. उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-6 को संशोधित करते हुए निम्नवत प्राविधान किया जाता है:-

"पात्र लाभार्थी गन्ना कृषकों को, डी.बी.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत माइक्रोन्यूट्रियंट, कीटनाशक तथा बायोफर्टीलाइजर, जिले की किसी भी सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से इफकों एवं कृभकों, आई.आई.एस.आर., उ.प्र. गन्ना शोध परिषद तथा प्रदेश के किसी विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्रोत अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्गत शासनादेश संख्या:5/2016/253/18-2-2016-3(एस.पी.)/2010, दिनांक 01-04-2016 द्वारा प्रख्यापित उ.प्र. प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या:11/2017/523/18-2-2017-97(ल.उ.) /2016, दिनांक 23-08-2017 के अन्तर्गत जेम (Gem) पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे। विशेष परिस्थिति में समिति गोदाम पर उक्त संस्थाओं से उत्पाद उपलब्ध नहीं होने पर मुख्यालय से अनुमति उपरान्त कृषि विभाग के शासनादेश संख्या:543(1)/12-3-2017, दिनांक 26 मई, 2017 के प्रस्तर 5.4.2 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के समय मुख्यालय स्तर से अन्य विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। पात्र लाभार्थी कृषि निवेशों को उनके कुल मूल्य एवं समस्त करों सहित नकद अथवा समिति ऋण के माध्यम से 100 प्रतिशत पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही प्राप्त कर सकेगा, गन्ना समिति के द्वारा नकद अथवा समिति ऋण की रसीद मय GSTIN नम्बर उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात् ही उसको नियमानुसार देय अनुदान का भुगतान उसके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।"

3. उक्त शासनादेश संख्या:33/2018/1763/46-1-2018-1000(74)/2012, दिनांक 19-09-2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
2. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
3. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर।
4. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
6. आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,

संजय आर. भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in